(1)

UPKN010070332026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं–08, कानपुर नगर

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 2473 / 2026

संजीव उर्फ संजीव दीक्षित उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र श्री कृष्ण कुमार निवासी– म0नं0 269ए, राजीव नगर, उर्मिला मार्केट के पास, यशोदा नगर, किदवई नगर कानपुर नगर। .....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 सरकार द्वारा डी0जी0सी0 फौजदारी कानपुर नगर।

.....अभियोजन पक्ष

मु0अ0सं0–321 / 2026
धारा–115(2),318(4),308(5) बी0एन0एस0
थाना–चकेरी, कानपुर नगर।

07.07.2026

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त संजीव उर्फ संजीव दीक्षित की ओर से अर्न्तगत मु0अ0सं0–321 / 2026, धारा–115(2),318(4),308(5) बी0एन0एस0, थाना चकेरी, कानपुर नगर में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ अभियुक्त की बहन प्रियंका दीक्षित का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त जमानत प्रार्थनापत्र माननीय सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेशानुसार जरिये अन्तरण प्राप्त हुए हैं।

2. प्रस्तुत अभियोग में वादी मुकदमा रवि कुमार पासवान ने कथन किया है कि मैं ई.एस.एस. के. इण्टरनेशनल कम्पनी में सुई धागा का कार्य करता है जिसमें मुझे 10,000 / – रुपये प्रतिमाह मिलते है। मेरे पिता जी राजमिस्त्री है, जो घर आदि बनाने का कार्य करते है। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मनीष मेरे मोहल्ले में रहता है। उसने मुझे बताया कि मेरे जानने वाले वकील साहब है। जो बेरोजगारी भत्ता दिलवा देते है। मैने उनके माध्यम से कई लोगों को भत्ता दिलवाया है। मैंने पूछा क्या करना पड़ेगा। तो उसने बताया कि ज्यादा कुछ नहीं एक खाता खुलवाना है और एक नई सिम निकलवानी पड़ेगी तो मैंने पूछां कि मेरे पास पहले से ही सिम है उससे काम नही चलेगा तब मनीष ने बताया कि

उसमें नया नम्बर लगता है। तो उसने मेरी नई सिम निकलवायी और फिरोज वकील साहब के पास ले गया। जहां से वकील साहब मुझे सिटी यूनियन बैंक ले गये और अपने जानने वाले लोगों से मेरा परिचय कराते हुए कागजो पर हस्ताक्षर कराये और बताया कि 02 दिन बाद कोयलानगर स्थिति ऑफिस पर आना जहा एक फोटो खिचेगी। उसके बाद तुम्हें बेरोगारी भता के 05 हजार रु. प्रतिमाह मिलने लगेंगे। मैंने पूँछा फोटो बैंक में दे दी है। तो वहां क्या काम है। उसने बताया कि तुम्हे जितना बोला जा रहा है उतना करो। सरकारी कागज बनवाने में आना जाना पड़ता है। कुछ दिन बाद मनीष मेरे आया और बोला तुम्हे वकील साहब ने बुलाया था। तुम गये नहीं मेरे पास सूचना आयी है। तब मनीष मुझे लेकर वकील साहब के ऑफिस कोयलानगर कोहिनूर होटल के पास ले गया। जहां फिरोज आलम के 04 अज्ञात लोग मौजूद थे। तब मनीष ने बताया कि ये नूरआलम और संजीव है। ये वकील साहब के खास आदमी है। अन्य 02 लोगों के बारे में मनीष ने मुझे कुछ नहीं बताया। उसके बाद मेरी फोटो खींची गयी और बोला कि अब तुम्हारा पैसा आने लगेगा। फिर हम और मनीष वापस आ गये। जब 01 महाना बाद पैसा नहीं आया तो मैंने मनीष से पूछा यार पैसा नहीं आया है। तो उसने बताया में बात करके बताउगा। उसके कुछ नहीं बताया तो मैंने 15 दिन बाद फिर पूँछा कि क्या हुआ। तो उसने बताया ऑफिस चलना पड़ेगा वकील साहब ने बुलाया है। हम लोग कोहिनूर होटल के पास वकील साहब के ऑफिस गये तो उन्होने बताया कि तुम्हारा पैसा आ गया है परन्तु खाता में कुछ गड़बड़ी है. जिसके कारण पैसा चैक से निकालना पड़ेगा। मेरी बैंक में जान पहचान है तो हम लोग सारी कार्यवाही समय से करा लेगें और पैसा मनीष के हाथों तुम्हारे पास पहुँचा देगें। मैने मना किया तो फिरोज ने अपने साथियों से बोला कि साले को मारों ये ऐसे नहीं मानेगा तो नूरआलम व संजीव एवं अन्य 02 लोग मुझे मारने लगे फिर मनीष ने रोका और मुझसे बोला कि भाई साइन कर दे मैं तेरे पैसे इन से ले लूँगा। फिर उक्त लोगों ने मुझसे सभी चेकों पर हस्ताक्षर करा लिए और मुझे भगाते हुए बोले कि अब कोई पैसा नहीं मिलेगा यह पैसा और अपनी साइन की हुई चैके तथा सभी कागज एवं सिम लेनी है तो 50 हजार का इन्तजाम करके आना । मनीष मेरे साथ बाहर आया मुझे समझाने लगा कि 15 हजार तेरे खाता में बेराजगारी भत्ता वाले पड़े है और इस महीने आने वाले है। तू 25 हजार कर लेना तब मैं तेरे सारे कागज व चैके

वापस करा दूँगा। मैने मनीष से बोला तू उन्ही सबकी बातें बोल रहा है। मुझे पिटवाया है तूने तब मनीष बोला ये सब अपराधी किस्म के लोग है। यह काम इन लोगों ने बहुत लोगों के साथ किया है। हम लोग इनसे लड़ने लायक नहीं है। ये सब बहुत खतरनाक लोग है। आदमी को मार देगे और लाश भी नहीं मिलेगी। यह सुनकर मैं बहुत डर गया था। मैं डर की बजह से बाहर भाग गया था। कुछ दिनों बाद में वापस आया तब मेरी मुलाकात मेरे मोहल्ला में निवास करने वाले अंकुर रावत से हुई तो उसने बताया कि इन लोगों ने मेरे नाम से फर्जी फर्म बना ली है, जिससे यह लोग आपराधिक कार्य कर रहे है । उसके बाद मैने पता किया तो पता चला कि मेरे नाम से भी रवि इन्टरप्राइजेज नाम की फर्जी फर्म खोल रखी है। यह भी सम्भव है कि इन सबके द्वारा उससे भी कोई आराधिक कार्य किये जा रहे हो। महोदय सादर अनुरोध है कि लोगों के साथ मौका का फायदा उठाकर धोखाधड़ी करने वाले अपराधी फिरोज, संजीव, लल्ला, नूरआलम एवं जाहिद व मनीष आदि अपराधियों द्वारा मेरे साथ की गयी धोखाधड़ी एवं कागज वापस करने के नाम पर 50 हजार मांगने के सम्बन्ध में कठोर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी आपका जिन्दगी भर आभारी रहेगा।

3. जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र में अभियुक्त की ओर से यह कथन किये गये हैं कि अभियुक्त निर्दोष है। फर्जी कूटरचित तथ्यों एवं दस्तावेजों को दर्शाकर मुकदमे में उसे अभियुक्त बना दिया गया है। अभियुक्त का मुकदमे से किसी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है बल्कि पुलिस द्वारा फर्जी रूप से वादी से मिली भगत करके उपरोक्त झूठे मुकदमे मे रंजिशन फंसा दिया गया है। अभियुक्त वादी मुकदमा को जानता पहचानता नही है और न ही कभी वादी मुकदमा से मिला है इसलिये तथाकथित अपराध करने का प्रश्न ही नही उठता है। वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर के उपरान्त दिनांक 18/05/2026 को समय 18:19 बजे दर्शित की गयी है और प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दिनांक 18/05/2026 को समय 18:19 बजे दर्ज करायी गयी और एक सेकेण्ड की भी देरी नही दर्शित है यह असम्भव है क्योकि वादी मुकदमा म०नं0 431 एफ ब्लाक, पनकी कलां पनकी पश्चिमी कानपुर नगर मे निवास करता है जहां थाना चकेरी की दूरी लगभग 15 किमी0 से अधिक है जबकि घटना का समय व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का समय एक ही दर्शित है, साथ ही वादी मुकदमा ने अपनी

तहरीर में जिला उन्नाव लखनऊ व रामादेवी चौराहा का उल्लेख किया है और क्षेत्राधिकार रामादेवी जो कि थाना चकेरी के अन्तर्गत आता है दर्शित किया है। इस तरह से पूरी कहानी मनगढन्त एवं कपोलकल्पित प्रतीत होती है। पूरी तहरीर पढने से बिल्कुल फर्जी प्रतीत हो रही है तथा पूरी तहरीर में घटना एक दूसरे से कही भी कनेक्ट नही हो रही है और न ही शपथकर्ता का कोई रोल दर्शित किया गया है और न ही कोई उददेश्य परिलक्षित होता है। जिससे सम्पूर्ण घटना झूठी व कपोलकल्पित प्रतीत होती है। उक्त मुकदमे में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध जो धाराये लगायी गयी है उक्त सभी धारायें शपथकर्ता पर लागू नही होती है क्योंकि प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त मुकदमे से कोई लेना देना नही है। मात्र पुलिस वादी मुकदमा से सांठ गांठ कर प्रार्थी/अभियुक्त से रूपये की उगाही करने के लिये मनगढन्त कहानी बनाकर उपरोक्त झूठा मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व पुलिस ने धनउगाही के लिये फर्जी व झूठे तथ्यों पर मु0अ0सं0–0677/2024, धारा–420,406,504,506 भा०द०सं० थाना चकेरी, कानपुर नगर में पंजीकृत करायी गयी थी, सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य न पाये जाने पर अभियुक्त को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कानपुर नगर द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गयी थी। अभियुक्त के विरूद्ध भारत संघ वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग जी०एस०टी० खुफिया महानिदेशालय कानपुर क्षेत्रीय इकाई कानपुर नगर द्वारा काइम नं०/फाईल नं० DGGI/INT/INTL/1546/2024-GrB, धारा–132(1)(बी),132(1)(सी) व 132 (1) (1) सी०जी०एस०टी० अधि०, थाना–डी०जी०जी०आई०, कानपुर रीजनल यूनिट, काकादेव कानपुर नगर में फर्जी फर्मों का सहारा लेकर प्रार्थी/अभियुक्त से धन उगाही के लिये फंसाया गया था। जिस पर सम्पूर्ण जांच के उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त पर कोई भी आरोप सिद्ध पर प्रार्थी/अभियुक्त को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जमानत प्रदान की गयी थी और साथ ही जी०एस०टी० विभाग को भी चेतावनी दी गयी थी कि भविष्य में कोई मुकदमा पंजीकृत करने से पूर्व सही तथ्यों व सही जानकारी के आधार पर ही मुकदमा प्रार्थी/अभियुक्त पर पंजीकृत करेगे। अपनी हार को देखते हुए जी०एस०टी० विभाग ने पुलिस के माध्यम से फर्जी कहानी गढ़कर अलग अलग तरीके से फर्जी फर्मों के मालिक के द्वारा उपरोक्त एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी है। जिसका प्रार्थी/अभियुक्त से कोई भी लेना देना नही है। यदि लेना देना होता तो

जी०एस०टी० विभाग को भी प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध फर्जी फर्मों से कोई भी वास्ता व सरोकार मिलता, किन्तु ऐसा नही हुआ है। अभियुक्त एक सीधा साधा सम्भ्रान्त व्यापारी है उसके द्वारा उपरोक्त कारित नही किया गया है। अभियुक्त का पूर्व मे कोई आपराधिक इतिहास नही है पुलिस ने वादी मुकदमा से आर्थिक लाभ लेकर फर्जी मनगढन्त तथ्यों के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में संलिप्त कर दिया है। अभियुक्त कई बीमारियो से भी ग्रसित है साथ ही परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है। परिवार की पूरी जिम्मेदारी प्रार्थी/अभियुक्त पर है। अभियुक्त यह वचन देता है कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत दिये जाने पर अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। अभियुक्त जमानते देने को तैयार है। जमानत पर रिहा होने पर जमानत का दुरूपयोग नही करेगा तथा नियत तिथियो पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेगा। जमानत पर रिहा होने पर जमानत का दुरूपयोग नही करेगा तथा नियत तिथियो पर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेगा। अभियुक्त न्यायालय के आदेशो को और जमानत की शर्तो का पालन करेगा। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की है।

4. विद्वान सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता (फौज़दारी) द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुये तर्क दिये गये हैं कि अभियुक्त एक शातिर अपराधी है। प्रार्थी/अभियुक्त नामजद अभियुक्त है जिसके द्वारा अपने साथी/सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी अभियोग को बेरोजगारी भत्ता दिलाने के नाम पर वादी अभियोग से उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर उसका खाता खुलवाकर व एक सिम निकलवाकर, (जिसका उपयोग अभियुक्तगण द्वारा किया जा रहा था) वादी के नाम से एक फर्जी फर्म रवि इण्टरप्राइजेज खुलवायी गयी जिसका संचालन अभियुक्तगण द्वारा किया जा रहा था। वादी अभियोग को कोई बेरोजगारी भत्ता प्राप्त न होने की, दशा में, वादी अभियोग द्वारा अपने प्रपत्र वापस मांगे गये तो अभियुक्तगण द्वारा वादी अभियोग के साथ मारपीट की गयी व वादी को मृत्यु का भय दिखाकर उससे 50,000/– रुपये की रंगदारी मांगी गयी जिस सम्बन्ध में वादी द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है तथा अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 BNSS व 183 BNSS न्यायालय के समक्ष अंकित कराते हुए उक्त घटना को अभियुक्तगण द्वारा कारित किया जाना अंकित कराया है। अब तक की विवेचनात्मक कार्यवाही में यह स्पष्ट है कि अभियुक्त

संजीव दीक्षित द्वारा अपने साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर ही वादी अभियोग के प्रपत्रो को प्राप्त कर खाता खोलकर, जीसएटी रजिस्ट्रेशन कराकर करोड़ो रुपये का लेनदेन किया गया है। जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट के अवलोकन से स्पष्ट है। जिसके पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली में मौजूद है। अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है। अभियोग उपरोक्त में प्रार्थी/अभियुक्त नामजद है, जिसके द्वारा वादी अभियोग को बेरोजगारी भत्ता दिलाने का झांसा देकर सिटी यूनियन बैंक ले जाकर कागजो पर हस्ताक्षर कराये गये व खाता खुलवाया गया, जिसका संचालन अभियुक्त संजीव दीक्षित द्वारा साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर किया जा रहा था, जब वादी द्वारा बेरोजगारी भत्ता का रूपया मांगा गया तो वादी से चेक पर हस्ताक्षर कराकर उसके साथ धोखाधडी करते हुए वादी को कोई रूपया नहीं दिया गया तथा वादी को मृत्यु का भय दिखाकर 50,000/—रूपयो की रंगदारी मांगी गयी जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियुक्त शातिर अपराधी है जिसका 06 मुकदमो का आपराधिक इतिहास भी है। अभियुक्त द्वारा साथियों के साथ मिलकर करोड़ों रूपयो का लेनदेन करते हुए जी0एस0टी0 चोरी का गम्भीर आर्थिक अपराध कारित किया गया है, अभियुक्त का इस सम्बन्ध में कई मुकदमों का आपराधिक इतिहास भी है। अभियुक्त आर्थिक अपराध करने का आदतन शातिर अपराधी है। तथाकथित फर्जी फर्म रवि इण्टरप्राइजेज ट्रेडर्स का सम्बन्धित विभाग द्वारा पंजीकरण भी निरस्त किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा साथियों के साथ मिलकर करोड़ों रूपयो का लेनदेन किया गया है यदि अभियुक्त को जमानत प्रदान की गयी तो वह जमानत पर छूटते ही फरार हो जाएगा और पुनः ऐसे अपराध कारित करेगा, गवाहों को धमकाएगा, मुकदमा प्रभावित करेगा। अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

5. अभियोजन व अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्को के प्रकाश में, प्रपत्रों व समस्त केस डायरी का परिशीलन किया गया।

6. प्रथम सूचना रिर्पोट के अनुसार अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा से बेरोजगारी भत्ता दिलाये जाने के नाम पर उससे उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि लेकर उससे फर्जी फर्म खोलकर उसमें करोड़ो रूपए का ट्रान्जक्शन किये जाने तथा वादी मुकदमा को मृत्यु का भय

दिखाकर उससे चेको पर हस्ताक्षर कराने तथा 50,000/–रूपए की रंगदारी मांगे जाने का अभियोग है।

7. केस डायरी मय प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरूद्ध नामजद प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी गयी है। प्रकरण के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा वादी मुकदमा का बयान अर्न्तगत धारा–183 बी0एन0एस0एस0 सशपथ इस आशय का दर्ज किये जाने का कथन किया गया है कि मनीष नाम का लड़का जो मेरे गांव में रहता है उसने कहा कि वकील साहब फिरोज खां बेरोजगारी भत्ता दिला देगें 5000/–महीना मिलेगा, फिरोज के पास चलकर आधार कार्ड, पैन कार्ड व नया सिम निकालकर चलना पड़ेगा। फिरोज व मनीष ने उसका खाता खुलवाया और नया सिम पासबुक व ए0टी0एम0 रख लिया। इसीप्रकार एक अन्य गवाह अंकुर रावत ने सशपथ कथन किया है कि मुहल्ले का मनीष तथा उसके साथी फिरोज वकील साहब, नूर आलम, नूर आलम का भाई लल्ला और संजीव दीक्षित ने हम लोगों को बातों में फसा कर रवि को बेरोजगारी भत्ता दिलाने के नाम पर रवि के नाम से ही सिम निकलवाकर, एक फर्म के नाम का खाता खुलवाया फिर हम लोगों को डरा धमकाकर चेक साइन कराये। हम लोगों के नाम से ट्रेडिंग कम्पनी खोली है तथा जान से मारने का डर दिखाकर रंगदारी फिरोज व संजीव के मांगे जाने का कथन किया गया है। विवेचक द्वारा कथन किया गया है कि उसके द्वारा वादी की हैसियत की जांच की गयी जिसमें वादी लेबरी या फल का ठेला लगाकर दो कमरो में जीवन यापन कर रहा है। वादी के पास कोई बुनियादी सुविधाएं न होना कहा है तथा वादी मुकदमा रवि पासवान के नाम पंजीकृत फर्म खाता से करोड़ो रूपयो का ट्रान्जेक्शन होना दर्शित है। प्रकरण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बेरोजगारी भत्ता का लालच देकर संगठित गिरोह बनाकर वित्तीय धोखाधड़ी का मामला है। अभियुक्त का प्रस्तुत मामले के अतिरिक्त पांच अन्य मामलों का अपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। जिसके वादीगण द्वारा भी अभियुक्त के विरूद्ध इसी प्रकार के मामले का अभिकथन किया गया है। केस डायरी के साथ संलग्न प्रपत्रों में विभिन्न फर्मो से करोड़ो के लेनदेन का विवरण तथाकथित फर्जी फर्म रवि इण्टरप्राइजेज के साथ होना वर्णित किया गया है। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर राजस्व को गम्भीर क्षति पहुंचायी जा रही है। अभियोजन की ओर से यह भी कथन किया

गया है कि तथाकथित फर्जी फर्म रवि इण्टरप्राइजेज का सम्बन्धित विभाग द्वारा पंजीकरण भी निरस्त किया जा चुका है।

8. अभियुक्त पर लगाया गया आरोप गम्भीर प्रकृति का है। प्रस्तुत अभियोग के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा वृहद स्तर पर अभियुक्त द्वारा किये गये करोड़ों रूपए के वाणिज्यिक अपराध एवं अभियोग की गम्भीर प्रकृति व दण्ड की मात्रा को देखते हुए मेरे मत से प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का कोई समुचित आधार नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है, तद्नुसार निम्न आदेश पारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त संजीव उर्फ संजीव दीक्षित की ओर से मु0अ0सं0–321 सन 2026, धारा–115(2),318(4),308(5) बी0एन0एस0, थाना चकेरी कानपुर नगर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किया जाता है। अभियुक्त/अभियुक्त अधिवक्ता को आदेश की नकल निःशुल्क अविलम्ब प्राप्त करायी जाए।

दिनांकः 07.07.2026

(विजय कुमार गुप्ता–I)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 08,
कानपुर नगर।

Digitally signed by VIJAY KUMAR GUPTA
Date: 2026.07.07 16:05:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court